<u>V-190</u> Cr.J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, GOHAD DISTRICT BHIND

(<u>आज दिनांक : ०.८) १५ ।</u> को पारित किया गया)

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छ्या पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रूपये (10 / रु) के अर्थदण्ड़ से दिण्ड़त `

किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंक्रज शर्मा जोएम एफ सी गोहद्ग जिला भिण्ड शेंडद, जिला-किण्ड (म.प्र.)